न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही (राज.)
बइजलास पीठासीन अधिकारी हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.पत्र संख्या 18 / 2025
GCMS No. 2025/

प्रार्थीगण

1. श्री कलबी आंजना समाज सेवा समिति, झोरा परगना थाला कालन्द्री, जरिये अध्यक्ष श्री लुम्बाराम पुत्र भुदाजी आयु वयस्क जाति कलबी निवासी वाडेली तहसील व जिला सिरोही (राज.)।

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही तहसील व जिला सिरोही (राज.)।

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री दिलीपराज पुरोहीत।
2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तह.सिरोही)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत

निर्णय दिनांक 26.05.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.काश्त.अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 10.02.2025 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संस्था के एकल खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा ग्राम कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री–2 मू.अभि.नि. क्षेत्र कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही में आई हुई स्थित है जिसकी विगत राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 के अनुसार खाता संख्या 567 रकबा 4536 / 3842 रकबा 0.9900 हेक्टेयर किस्म बारानी–। आई हुई है। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि से लगती खसरा संख्या 3851 रकबा 1.4600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संस्था के हक अधिकार व स्वामित्व की आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खसरा संख्या 4536 / 3842 की वर्णित आराजी के पूर्व दिशा की सरहद से लगता खसरा संख्या 3837 व उसके बाद उसी दिशा की ओर खसरा संख्या 3833 की आराजी आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी के नाम दर्ज है

एवं इस खसरा संख्या 3833 के पूर्व भाग मे सार्वजनिक आम डामर सड़क खसरा संख्या 3822 दर्ज है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी में आने–जाने हेतु तथा मवेशी ट्रैक्टर बैलगाडी इत्यादि के लिए राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी संस्था के सदस्य व अन्य व्यक्ति प्रार्थना पत्र पद संख्या 01 में वर्णित आराजी पर आने जाने हेतु तथा सभी प्रकार का सामान इत्यादि लाने ले जाने हेतु इस आराजी को खरीद करने के बाद से तथा उससे पूर्व इसके पूर्व खातेदार इस आराजी पर आने जाने हेतु पुश्तैनी काल से सार्वजनिक आम डामर सड़क से लगती खसरा संख्या 3833 रकबा 0.7300 हैक्टेयर किस्म गै.मु मगरी व उसके बाद खसरा संख्या 3837 रकबा 1.4700 हैक्टेयर किस्म गै.मु. मगरी जो कि राजस्व रेकर्ड में राजस्थान सरकार के नाम इन्द्राज है उस में से प्रस्तावित A to B रास्ते से प्रार्थी व उससे पूर्व इसके खातेदार अपनी उपरोक्त दोनों खसरान की खातेदारी कृषि भूमि में पुश्तैनी काल से उक्त भाग को रास्ते के रूप में निरन्तर व निर्बाध रूप से उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। उक्त रास्ते की आराजी को संलग्न नक्शे में लाल स्याही से डोटेड (........) A to B कर दर्शाया गया है। संलग्न नक्शे को प्रार्थना पत्र का अंग समझा जावें। उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थी संस्था की आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता विकल्प नहीं है। प्रार्थी द्वारा रास्ते का उपयोग किया जा रहा है वह रास्ता राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे में तरमीम व इन्द्राज नहीं होने से प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि में आवागमन करने व काश्त करने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अभाव में प्रार्थी संस्था की उक्त भूमि का रूपान्तरण भी संभव नहीं हो पा रहा हैं क्योंकि उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से उस पर प्रार्थी को कानूनन कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। जिससे प्रार्थी संस्था अपनी खातेदारी के खसरा संख्या 4536/3842 व खसरा संख्या 3851 की वर्णित आराजी पर आने जाने व ट्रेक्टर, मवेशी तथा अन्य सामान लाने ले जाने हेतु रास्ता 30 फिट अर्थात् 9 मीटर चौड़ाई में लाल स्याही डोटेड (......) A to B भाग तक लम्बाई में रास्ता चाहता है तथा उक्त भाग को रास्ता घोषित कर उसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। जिससे प्रार्थी संस्था का उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अनुरूप प्रस्तुत है। संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाये मार्क A to B वाले हिस्से को प्रार्थी संस्था की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध कराया जाता है तो प्रार्थी संस्था को अपनी आराजी पर आने जाने हेतु और काश्त करने जाने हेतु व अन्य प्रयोजनों के लिए आसानी से रास्ता मिल जावेगा। उक्त रास्ते के जरिये प्रार्थी व अन्य काश्तकार अपनी आराजी पर ट्रेक्टर, बैलगाडी, पशुओं को भी आसानी से ला ले सकेंगे, उक्त रास्ता कायम किये जाने से अप्रार्थी की कृषि भूमि को भी कोई नुकसान नहीं होगा। अप्रार्थी की आराजी यथावत् रूप में रहेगी।

अतः प्रार्थी सस्था के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर मौजा ग्राम कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री–2 भू.अभि.नि. क्षेत्र कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही में प्रार्थना पत्र पद संख्या 01 में वर्णितानुसार आराजी में आने जाने हेतु व ट्रेक्टर, मवेशी व अन्य सामान लाने ले जाने हेतु संलग्न नक्शे में लाल स्याही डोटेड (......) A to B भाग को जो अप्रार्थी की आराजी के खसरा 3833, 3837 की वर्णित आराजी में दर्शाया गया है जो करीब 30 फिट अर्थात् 9 मीटर चौडाई में एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी से सार्वजनिक आम सडक तक लम्बाई का रास्ता घोषित कर उसका राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे में इन्द्राज व तरमीम करने के आदेश प्रदान करावें तथा तथा अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रार्थी के न्यायोचित हो उसे भी दिलाये जाने के आदेश करना फरमावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 के साथ जमाबंदी व नक्शा प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टया आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.2025 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीको जारी नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शा.मि. किये गये । अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समय दिया गया।

सुनवाई दिनांक 26–03–2025 को अप्रार्थी स्टेट ने जवाब प्रस्तुत किया। प्रति वकील प्रार्थी को दी गई । अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में कथन किया कि मौजा कालन्द्री के खाता संख्या 567 खसरा संख्या 4536/3842 रकबा 0.9900 हेक्टयर व खाता संख्या 107 खसरा संख्या 3851 रकबा 1.4600 है0 प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि दर्ज है। इसी प्रकार मौजा कालन्द्री के खाता संख्या 1 खसरा संख्या 3837 रकबा 1.4700 हेक्टयर किस्म गै.मु.मगरी, खसरा संख्या 3836 रकबा 0.0700 हेक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता, खसरा संख्या 3833 रकबा 0.7300 हेक्टयर किस्म गै.मु.मगरी अप्रार्थी संख्या 1 राज्य सरकार के नाम व खाता संख्या 20 खसरा संख्या 3822 रकबा 1.6900 हेक्टेयर किस्म गै.मु. सडक अप्रार्थी संख्या 1 राज्य सरकार व अन्य व्यक्तियों के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है। मौका एवं रेकर्ड जांच में पाया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4536/3842 व 3851 में मुख्य सडक खसरा संख्या 3822(किस्म गै.मु.सडक) से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 3833 (बिलानाम सरकार दर्ज भूमि किस्म गै.मु.मगरी), खसरा संख्या 3837 (बिलानाम सरकार दर्ज भूमि किस्म गै.मु.मगरी) 3833 (बिलानाम सरकार दर्ज भूमि किस्म गै.मु.मगरी) तथा खसरा संख्या 3836 3833 (बिलानाम सरकार दर्ज भूमि किस्म गै.मु. रास्ता) में से मौके पर प्रचलित रास्ता विद्यमान् है। इसके आलावा प्रार्थी संस्था की उपरोक्त खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक अथवा रेकर्डेड मार्ग उपलब्ध नही है। संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। खसरा संख्या 3833 व 3837 में मुख्य रास्ता खसरा नम्बर 3822 (गै.मु.सडक) से आवागमन हेतु अनुमत किये जाने वाले रास्ते हेतु भूमि का परिकलन निम्नानुसार है खसरा संख्या 3833 में से लम्बाई 72 × चौडाई 9 = 648 वर्गमीटर अर्थात् 0.0648 हेक्टेयर व खसरा संख्या 3837 में से लम्बाई 94 × चौडाई 9 = 846 वर्गमीटर अर्थात् 0.0846 हेक्टेयर बनता है।

विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली वास्ते वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार की उक्त प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अंतिम बहस दिनाक 09–05–2025 को रखी गई। जिस पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ने न्यायालय में हाजिर होकर उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए आर.टी एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस पर गंम्भीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मुल पत्रावली मय प्रार्थना पत्र व जवाब स्टेट तहसीलदार सिरोही व संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व संलग्न नक्शा ट्रेस किश्तवार का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। संपूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह

पाया गया कि अप्रार्थी स्टेट की ओर से प्राप्त जवाब अनुसार तहसीलदार सिरोही ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है तथा पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस में तहसीलदार सिरोही के जवाब अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में खातेदारी भूमि में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है। अतः प्रार्थी को उसके खातेदारी आराजी में से होकर आने जाने के लिए मवेशी टेक्ट्रर बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिए आत्यातिक आवश्यकता होने से एव वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता सिद्ध नहीं होने से तथा तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में भी रास्ता मौके एव रेकर्ड मे नही होना बताया है इस कारण तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी संस्था का यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एव तहसीलदार सिरोही के प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी संस्था को उनकी खातेदारी भूमि मौजा कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री–2 के खाता संख्या 567 खसरा संख्या 4536/3842 रकबा 0.9900 है0 व खाता संख्या 107 खसरा संख्या 3851 रकबा 1.4600 हेक्टेयर पर कृषि कार्य हेतु स्वंय व कृषि यंत्र मवेशी बैलगाडी के आवागमन के लिए मौजा कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही के खसरा संख्या 3833 में से लम्बाई 72 × चौडाई 9 = 648 वर्गमीटर अर्थात् 0.0648 हेक्टेयर व खसरा संख्या 3837 में से लम्बाई 94 × चौडाई 9 = 846 वर्गमीटर अर्थात् 0.0846 हेक्टेयर का मार्ग दिया जाना उचित होने से नियमानुसार रास्ता के लिये स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत राजस्थान सरकार के श्री मान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप 6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र कमाक प. (52) राज–6/4 दिनांक 14.06.2013 बाबत राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध मे दिये गये प्रावधानो अनुसार उक्त रास्ते की भूमि स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है (क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरो या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के के विस्तार या चौडा करने के मामले में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और (ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधारित भूमि के तुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी

तहसीलदार सिरोही द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कीमत की राशि प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने पर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को उपरोक्तानुसार राजकीय बिलानाम भूमि मौजा कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही के खसरा संख्या 3833 में से लम्बाई 72 × चौडाई 9 = 648 वर्गमीटर अर्थात् 0.0648 हेक्टेयर व खसरा संख्या 3837 में से लम्बाई 94 ×चौडाई 9= 846 वर्गमीटर

अर्थात् 0.0846 हेक्टेयर का मार्ग दिया जाना उचित है। प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि की कीमत राशि अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को उपरोक्तानुसार भूगतान करने पर भूमिधारी तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव अनुसार रास्ते की भूमि खातेदारी में से कम कर राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मूमकीन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते में दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया ।

(हरि सिंह देवल)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 26–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही